





Paliganj - 154/14
G.R - 2184/14

लोक अदालत पालीगंज

लोक अदालत वाद संख्या :

दैनिक कार्यवाही विवरणी

45 - 341, 323, 504, 34
मा 30 दि 0

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यवाही	अभ्युक्ति
<p>14.03.26 ①</p>	<p>14.03.26</p>	<p>उभय पक्ष समाश्रयण में उपस्थित होकर सुनने का मौका दिया गया है। दोनों पक्ष उपस्थित होकर को सुनने के कारण पर विचारण पाए है।</p> <p>आगे के कार्यों में विधि लागू है कि 27-04-17 को पक्ष समाश्रयण - 27-04-17 को पक्ष 341, 323, 504, 34 मा 30 दि 0 को समाश्रयण दिया गया है।</p> <p>इस पक्ष के निलंबित कार्यवाही में कार्य समाप्त करने के लिए कार्यवाही का रहे है।</p> <p>अतः पक्ष सुनने पर विचारण है, उपरोक्त उभय पक्ष के अनुपस्थित पक्ष को 27-04-17 को पक्ष दि 0 14.3.2026 को उपस्थित सुनने के कारण पर विचारण पाए जाये है।</p> <p style="text-align: center;">  6 मा 30 दि 0 </p> <p style="text-align: right;">  3 मा 30 दि 0 </p>	<p>अभ्युक्ति कुमार</p> <p>14/03/26</p>

सामा
द्वारा
14/3/26



Palgunj - 154/14
G.R - 2184/14

पंचाट पत्र (एवार्ड)

नैशनल लोक अदालत, पटना पाल्गंज, पटना

वाद संख्या पाल्गंज - 154/2014 सन्, G.R - 2184/14 अन्तर्गत धारा / अधिनियम के साथ

न्यायालय नैशनल लोक अदालत पाल्गंज

वादी का नाम सीमा देवी

प्रति

प्रतिवादी का नाम राजेश शर्मा व अन्य

कैसले का संक्षिप्त विवरण उभय पक्ष न्यायालय के अधिनियम के
 14.03.2026 सुनने सत्रों में ही वान- 28 नो/ 2014 के
 पक्ष अधिनियम के तहत सुनने के
 आधार पर विवेचन प्राप्त है।
 न्यायालय अवलोकन से विदित होता
 है कि इस केस का संमान दि. 27.4.2017 के एफए
 34, 323, 504, 34 नो 2017 के न्यायालय विभा
 गार्ड वरिष्ठ के लिये अधिपक्ष न्यायालय के आदेश
 27.4.17 के तहत न्यायालय पर पक्ष का रहे है।
 न्यायालय के अधिनियम के तहत सुनने के तहत
 उभय पक्ष के अधिनियम पर नो 2017 के न्यायालय
 नो न्याया दि. 14.3.26 के अधिनियम
 सुनने के अधिनियम पर विवेचन
 किया गया है।

राजेश कुमार शर्मा
 राहुल कुमार
 अभिषेक कुमार

सीमा देवी
हस्ताक्षर वादी / प्रार्थी
14/3/26

14/3/26
हस्ताक्षर प्रतिवादी

लोक अदालत पंचों का हस्ताक्षर एवं तिथि

(हस्ताक्षर)

(14/3/26
हस्ताक्षर)